भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1340
(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

आंध्र प्रदेश में सीएसआर गतिविधियां

1340. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में सीएसआर कार्यकलापों के लिए कंपनियों द्वारा वर्ष-वार, क्षेत्र-वार और जिला-वार, विशेषकर पलनाडु जिले में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कार्यरत कंपनियों की वर्ष/जिला-वार विशेष रूप से पलनाडु जिले में कुल कितनी सीएसआर निधि खर्च नहीं की गई है;
(ग) अव्ययित न किए गए सीएसआर खाता तंत्र के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है जिसमें समय-सीमा, निधि का उपयोग और निगरानी प्रक्रिया शामिल है;
(घ) क्या सरकार ने खर्च न की गई सीएसआर निधियों के उपयोग में किन्हीं मुद्दों अथवा विलंब की पहचान की है और यदि हां, तो समय पर और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) आन्ध्र प्रदेश में कितनी कंपनियां अपने सीएसआर दायित्वों को पूरा करने में विफल रही हैं और इसका अनुपालन न करने के लिए कितना जुर्माना लगाया गया है;
(च) क्या आन्ध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर सीएसआर की किसी पहल को राष्ट्रीय मान्यता मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) राज्य भर में सीएसआर निधियों और अव्ययित सीएसआर खातों की पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों के आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों अथार्त् वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पलनाडु जिले सहित आंध्र प्रदेश में विकास क्षेत्र-वार और जिला-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(ख): मंत्रालय केन्द्रीय रूप से अव्ययित सीएसआर निधियों का ब्यौरा नहीं रखता है।

(ग): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में अव्ययित सीएसआर राशि के निष्पादन का प्रावधान है। चालू परियोजना के मामले में, कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर कंपनी के एक विशेष खाते अथार्त् ' अव्ययित सीएसआर खाते' में अव्ययित राशि को स्थानांतरित करना होगा और इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में इसे व्यय करना होगा।

जारी...2/-

तीन वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद, अव्ययित शेष राशि, यदि कोई हो, को तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। चालू परियोजना के अलावा अन्य के मामले में, कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी निधि में अव्ययित सीएसआर राशि को अंतरित करना आवश्यक है।

(घ): सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसके लिए लेखा परीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण बताने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, कारपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ-साथ मौजूदा कानूनी प्रावधान जैसे अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों की सांविधिक लेखा परीक्षा के प्रावधान आदि, सीएसआर निधियों के उचित उपयोग के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं।

(ङ): कंपनियों और चूक कर्ता वाले अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में विस्तृत जांच की जाती है और यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। ऐसी कोई अनियमितता या उल्लंघन संबंधित कार्यालय अर्थात् आरओसी आन्ध्र प्रदेश की जानकारी में नहीं आया है।

(च): ऐसा कोई मामला मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

(छ): कंपनी के बोर्ड को कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन अपनी बोर्ड रिपोर्ट में करना होता है। कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उद्देश्यों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रभाव को प्रमाणित करेगा। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव मूल्यांकन आदि के विवरण को कंपनियों द्वारा 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है, जिसमें सीएसआर पर एक वार्षिक कार्य योजना शामिल है जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट किसी कंपनी के बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों के साथ संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइट हैं, उन्हें सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता के लिए अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटन करना होता है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 08.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1340 के भाग (क) से संदर्भित वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक आंध्र प्रदेश में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**
1	कृषि वानिकी	0.18	0.28	0.01	8.39	4.35
2	पशु कल्याण	17.27	43.48	2.26	4.66	3.79
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं/आश्रित	0.09	0.01	0.02	0.51	0.16
4	कला और संस्कृति	4.81	4.83	1.35	4.77	6.11
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	2.49	1.42	58.41	76.06	71.19
6	शिक्षा	159.14	121.01	135.79	190.71	200.57
7	पर्यावरणीय स्थिरता	86.30	65.97	45.48	36.25	40.44
8	लैंगिक समानता	4.04	0.05	1.29	0.57	1.76
9	स्वास्थ्य सेवा	234.93	197.33	201.85	203.95	229.54
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	40.51	16.01	15.19	136.13	189.03
11	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	19.18	56.50	21.05	26.21	23.99
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	83.79	145.70	108.85	176.61	233.42
13	सुरक्षित पेयजल	10.79	18.70	7.47	19.81	10.17
14	स्वच्छता	13.50	18.84	22.01	23.80	29.68
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	3.71	2.83	4.92	14.25	4.09
16	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	1.18	0.06	-	0.52	2.27
17	अनाथालय की स्थापना	0.11	0.24	2.29	3.72	0.43
18	स्लम क्षेत्र विकास	0.44	1.47	0.09	0.53	0.54
19	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	0.46	1.51	1.08	1.48	7.66
20	विशेष शिक्षा	1.15	2.18	1.14	2.80	3.61
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.59	0.07	0.05	-	0.30
22	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	1.49	1.64	3.09	4.89	3.42
23	व्यावसायिक कौशल	3.94	16.00	27.35	46.45	59.69
24	महिला सशक्तिकरण	20.00	3.70	2.49	3.69	3.56
25	एनईसी/उल्लिखित नहीं*	0.14	-	-	-	-
	कुल	**710.23**	**719.81**	**663.50**	**986.77**	**1,129.75**

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का संकेत दिया जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

अनुलग्नक-II

दिनांक 08.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1340 के भाग (क) से संदर्भित वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक आंध्र प्रदेश में जिलावार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	जिलें	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1	अल्लूरी सीताराम राजू	-	-	-	0.06	-
2	अनकापल्ली	-	-	-	0.01	1.32
3	अनंतपुरमु	12.06	7.88	23.61	50.88	31.51
4	अन्नामय्या	-	-	-	0.20	0.80
5	बापटला	-	-	-	-	0.24
6	चित्तूर	32.65	20.49	70.30	168.71	229.73
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा	-	-	-	-	0.10
8	पूर्वी गोदावरी	18.16	28.92	26.64	151.83	238.37
9	एलुरु	-	-	-	-	-
10	गुंटूर	18.80	13.27	250.71	71.15	37.01
11	काकीनाडा	-	-	-	0.06	0.11
12	कृष्ण	11.05	17.36	44.66	41.68	39.87
13	कुरनूल	3.56	47.13	11.27	18.24	24.02
14	नंदयाल	-	-	-	-	0.01
15	एनटीआर	-	-	-	0.37	0.71
16	पलनाडु	-	-	-	0.39	0.12
17	पार्वतीपुरम मान्यम	-	-	-	-	-
18	प्रकाशम	1.29	1.16	5.85	164.11	190.93
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	30.84	26.24	29.33	79.46	71.90
20	श्री सत्य साईं	-	-	-	0.00	0.52
21	श्रीकाकुलम	2.91	1.64	7.06	17.04	23.88
22	तिरुपति	-	-	-	1.08	2.81
23	विशाखापट्टनम	27.58	56.40	99.25	125.12	114.04
24	विजयनगरम	4.29	2.76	5.58	24.80	18.68
25	पश्चिम गोदावरी	10.32	11.35	14.56	19.53	34.60
26	वाई.एस.आर. कडप्पा	3.15	10.56	18.02	24.01	13.60
27	जिला जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है*	533.57	474.65	56.65	28.03	54.88
कुल		**710.23**	**719.81**	**663.50**	**986.77**	**1,129.75**

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*कंपनियों ने या तो जिलों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक जिलों का संकेत दिया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।